दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs)
4 December 2020

by - Varun Pachauri

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

Unacademy Learning App

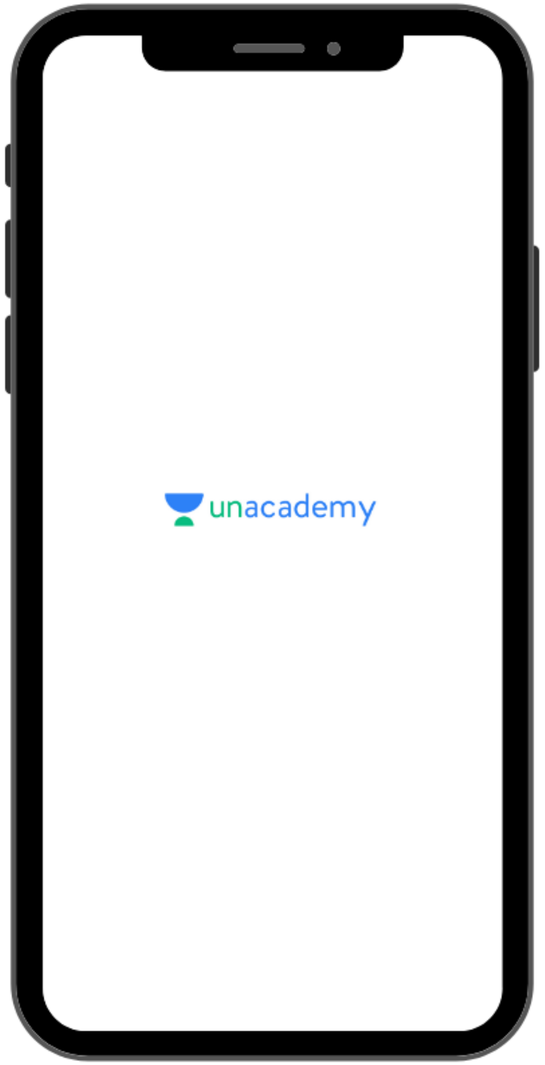

- Structured Batches with Top Educators
- Batches in Hindi, English and Bilingual
- Late night as well as 2 year batches
- 100% syllabus coverage
- Vast range of Optionals
- Prelims Test series with evaluation
- Mains Test Series with evaluation
- Dedicated Doubt Clearing Classes
- Daily Current Affairs Practice
- Essay & Answer Writing Practise
- Performance Analysis
- Sectional Quizzes
- Interview Preparation

Plus UPSC CSE Subscription

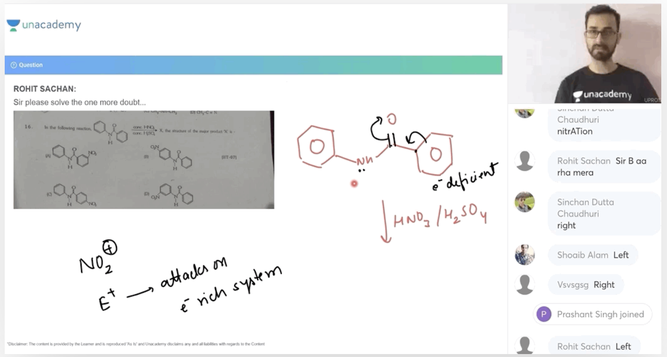

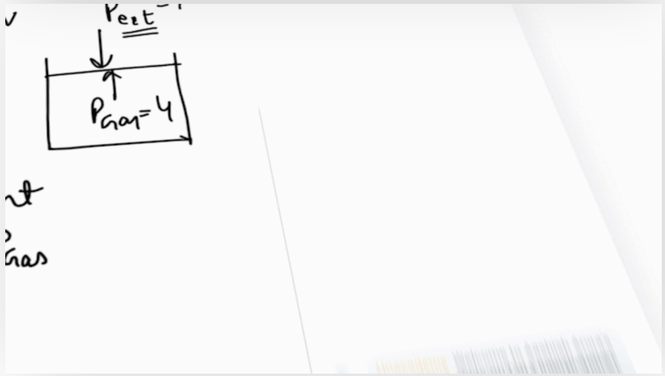

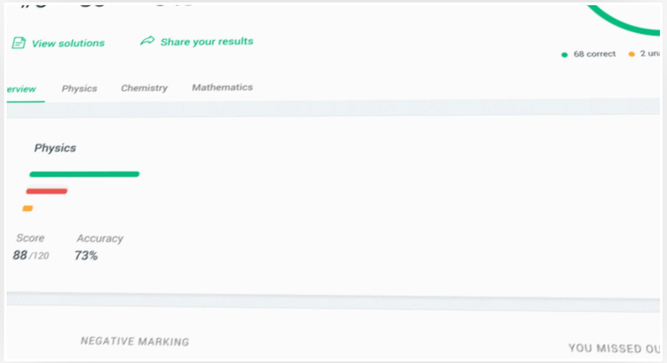

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

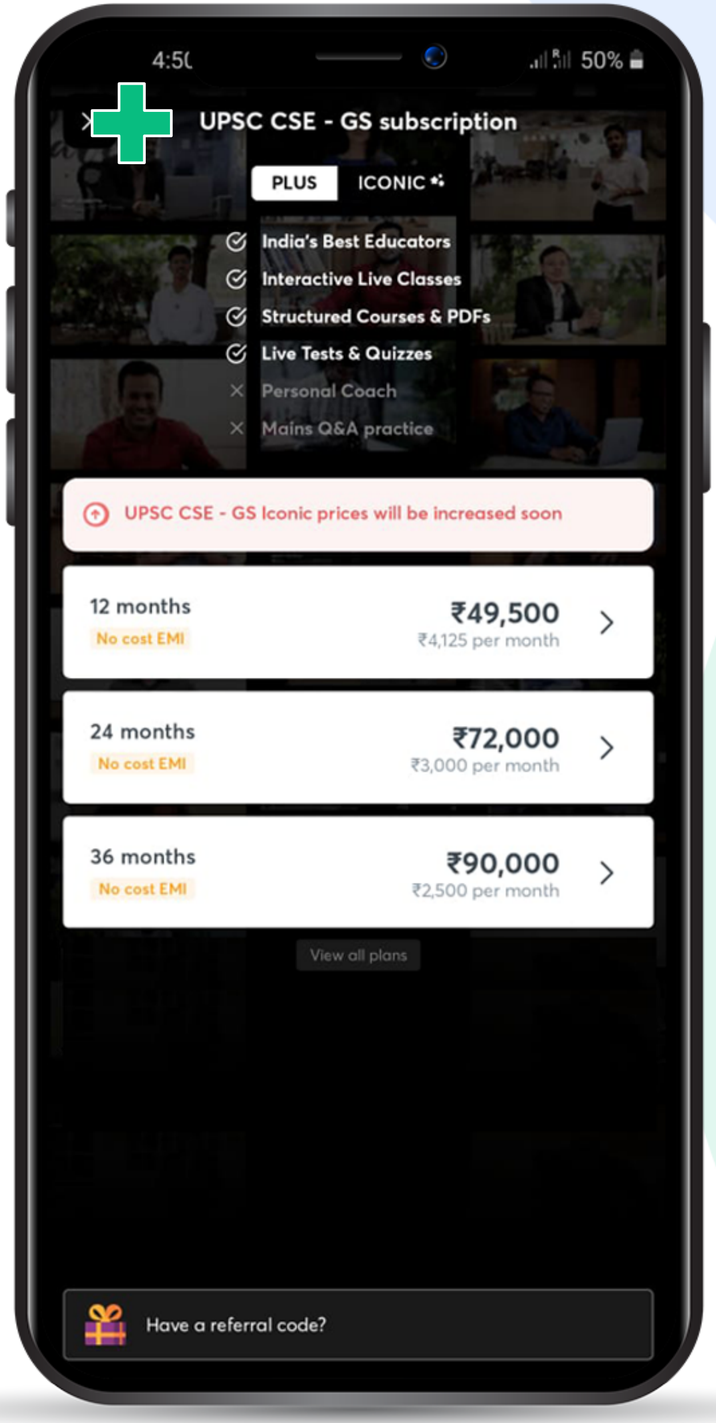

Iconic UPSC CSE Subscription

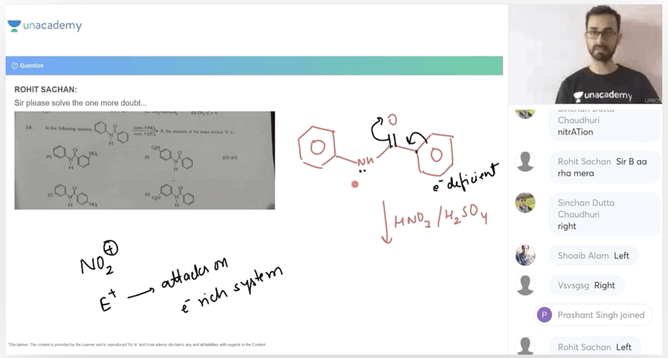

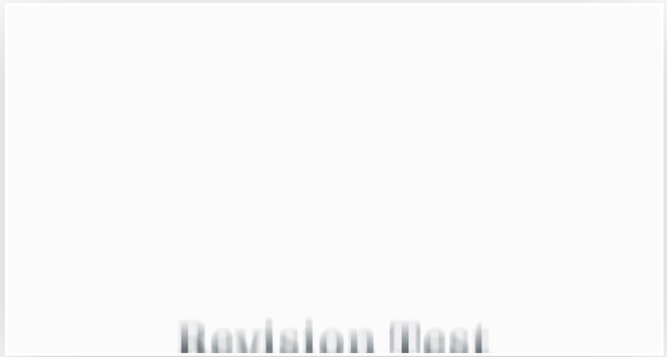

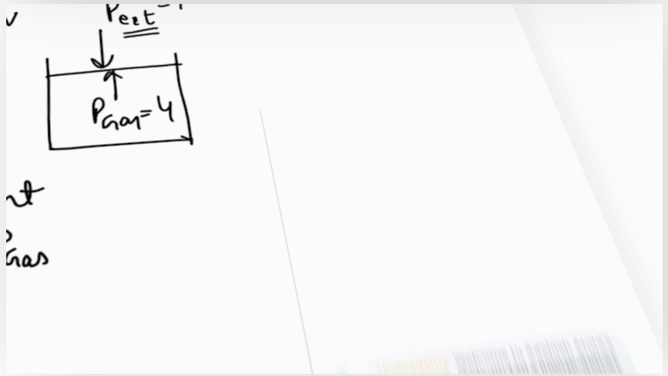

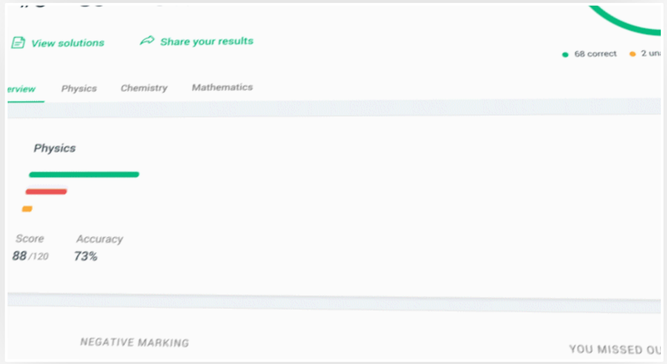

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

Get Subscription Now

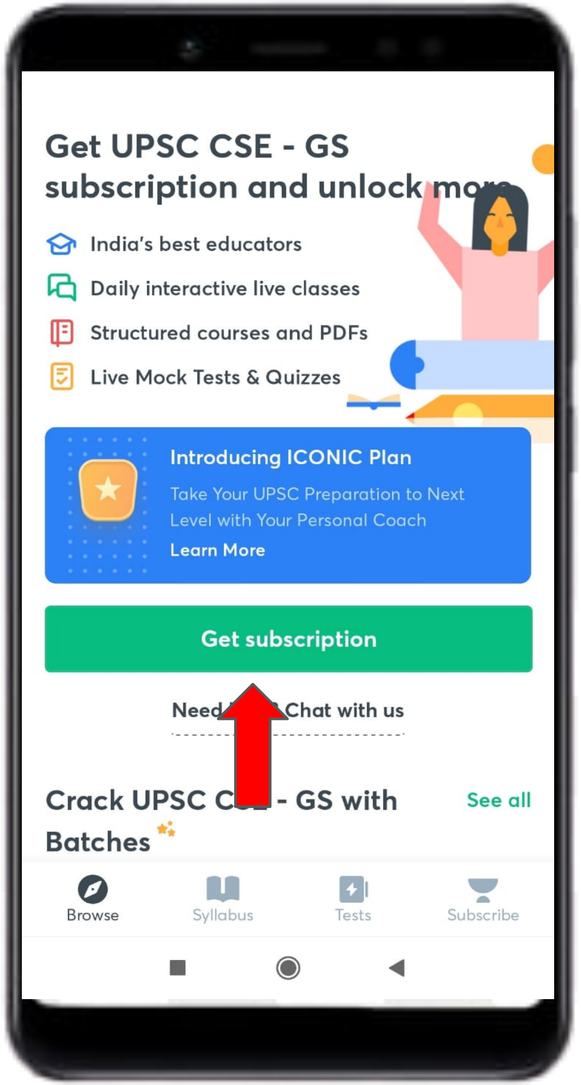

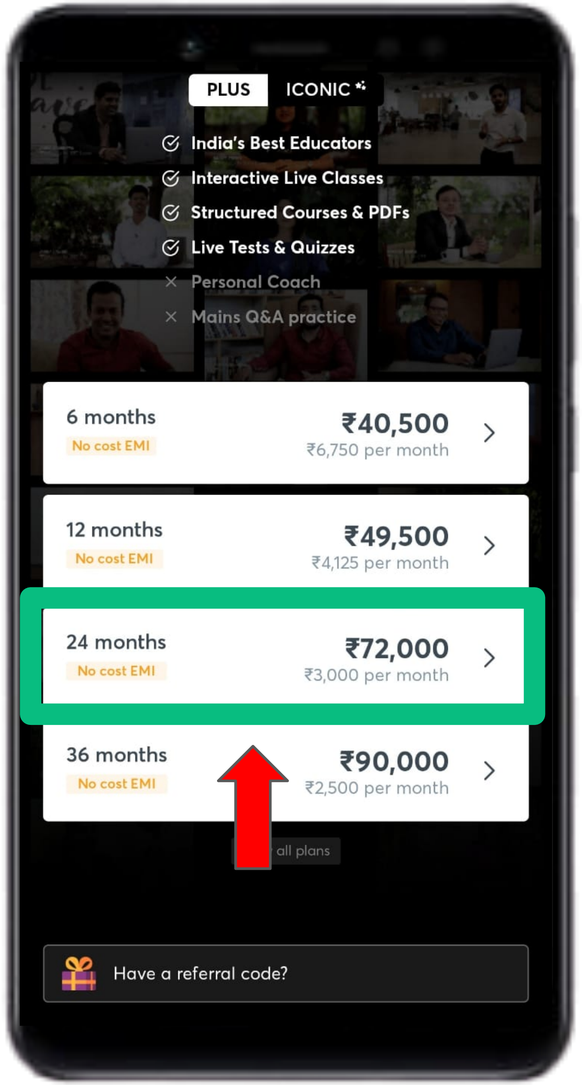

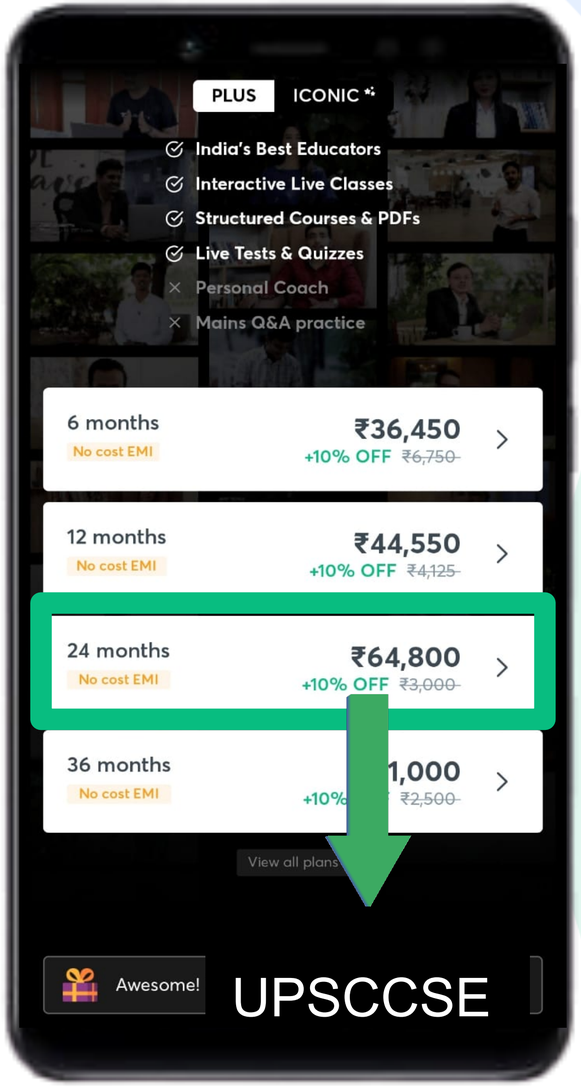

Subscribe now and Get 10% Extra Off. Apply Code - "CIVILHINDIPEDIA"

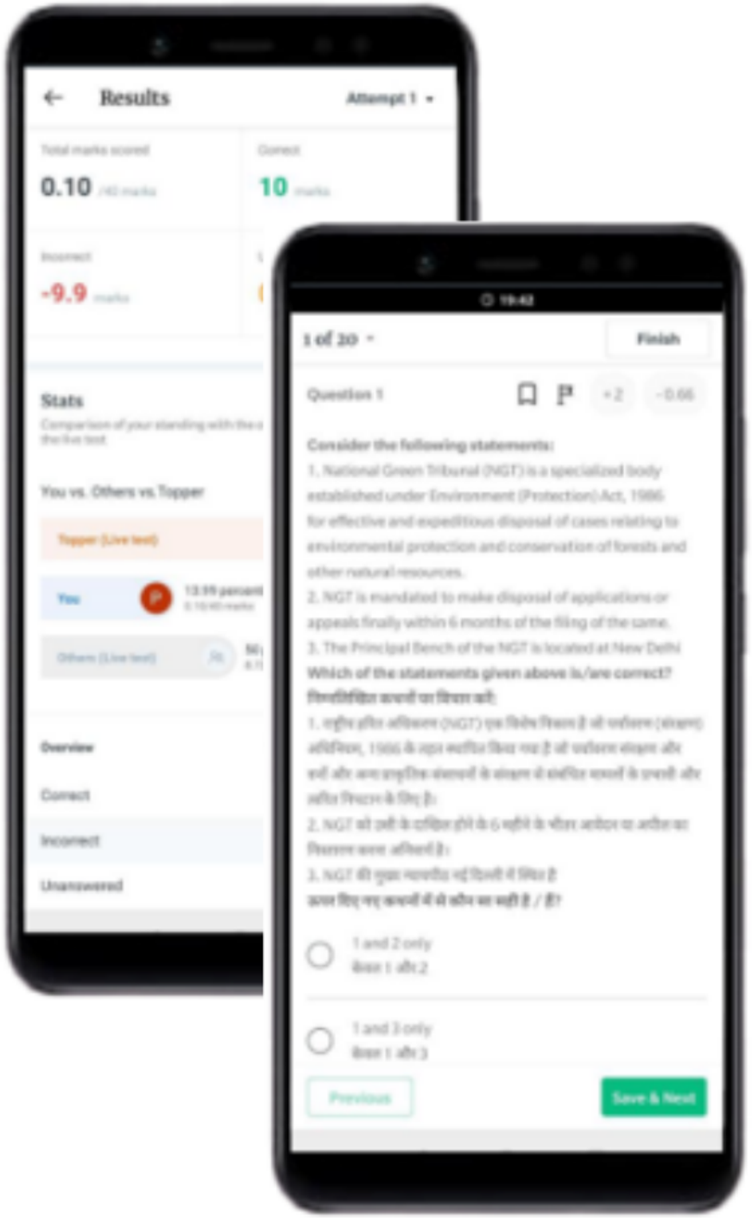

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

समसामयिकी

विविध स्त्रोतों से

लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका

- हाल ही में भारत के महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच लिंग संवेदीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर दिया है।उन्होंने उच्चतर न्यायपालिका में लंबे समय से महिला न्यायाधीशों की संख्या में बनी हुई कमी को भी रेखांकित किया।

- उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधियों के लिये ज़मानत की शर्तें निर्धारित करते हुए महान्यायवादी और अन्य लोगों से पीड़ितों के प्रति लिंग संवेदनशीलता में सुधार के तरीकों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा था।गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ ने ऐसे यौन अपराध के अपराधी जो आगे चलकर पीड़ितों का और अधिक उत्पीड़न करते हैं, के लिये न्यायालयों द्वारा जमानत की शर्तों के निर्धारण के संदर्भ में विचार आमंत्रित किये थे।

- हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित से राखी बंधवाने की बात कही थी।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मात्र दो महिला न्यायाधीश है, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिये 34 सीटें आरक्षित हैं, इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है।

- देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में निर्धारित 1,113 की क्षमता के विपरीत केवल 80 महिला न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। इन 80 महिला न्यायाधीशों में से उच्चतम न्यायालय में मात्र 2 और अन्य देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत हैं, यह संख्या कुल न्यायाधीशों का मात्र 7.2% ही है।देश के 26 न्यायालयों (उच्च न्यायालय सहित) के डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि देश में सबसे अधिक महिला न्यायाधीशों की संख्या हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय (कुल 85 न्यायाधीशों में से 11 महिला न्यायाधीश) में है, इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय दूसरे स्थान पर है जहाँ कुल 75 में से 9 महिला न्यायाधीश हैं।

- दिल्ली और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में 8-8 महिला न्यायाधीश हैं। मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मामले में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 403 पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तुलना में केवल 17 महिलाएँ ही हैं।इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय में 229 पुरुषों के मुकाबले केवल 8 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 157 पुरुषों के मुकाबले केवल 6 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं।

- वर्ष 2030 का सतत् विकास एजेंडा और सतत् विकास लक्ष्य (विशेष रूप से लक्ष्य-5 और 16) लैंगिक समानता और न्यायपालिका जैसे सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हैं।महिला न्यायाधीशों के लिये समानता प्राप्त करना न केवल इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है बल्कि यह और अधिक न्यायसंगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिये भी आवश्यक है। महिला न्यायाधीश न्यायपालिका को मज़बूत बनाने के साथ-साथ न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती हैं।

- महिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों में उन अनुभवों को लाती हैं जो इसे और अधिक व्यापक तथा सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।महिलाओं की उपस्थिति से निर्णयन में अधिक व्यापकता आती है, क्योंकि महिला न्यायाधीश ऐसे विचार सामने लाती हैं, जिस पर उनकी अनुपस्थिति में ध्यान नहीं दिया गया होता और इस प्रकार चर्चा का दायरा बढ़ जाता है, जो गैर-विचारशील या अनुचित निर्णयों की संभावनाओं को रोकता है।

- इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे कानून और नियम लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित हो सकते हैं, या वे महिलाओं और पुरुषों पर कैसे अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं, एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य,निर्णयन की निष्पक्षता को बढ़ाता है, जो अंततः पुरुषों और महिलाओं दोनों को लाभान्वित करता है।

- न्यायालयों को यह स्पष्ट करना चाहिये कि इस तरह की टिप्पणी (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुद्दा) पूर्णतः अस्वीकार्य है और यह पीड़ित तथा संपूर्ण समाज को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकती है। आवश्यक है कि न्यायालयों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश कुछ निश्चित न्यायिक मानकों के अनुरूप हों, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियाँ न की जाएँ।

- सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में महिला न्यायाधीशों के आँकड़ों के संग्रह से संबंधित दिशा-निर्देश देने चाहिये, साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संबंधित डेटा भी एकत्र किया जाना चाहिये।न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है और यदि संभव हो तो इस पहल की शुरुआत भी सर्वोच्च न्यायालय से ही की जानी चाहिये।

- रुढ़िवादी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण वाले न्यायाधीशों को यौन हिंसा के मामलों से निपटने के लिये लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि वे ऐसे मामलों में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो सकें।

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश और इसी तरह के अन्य उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालयों को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार का महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायपालिका का है और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित एवं सशक्त दृष्टिकोण की ओर एक लंबा रास्ता तय करना है।

- एक न्यायालय के लंबे समय से स्थापित जनसांख्यिकी को बदलने से संस्थान को एक नई रोशनी में विचार करने के लिये और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है तथा संभावित रूप से आगे आधुनिकीकरण एवं सुधार की ओर अग्रसर हो सकता है। चूँकि न्यायालय की संरचना अधिक विविध हो जाती है, इसलिये इसकी प्रथागत प्रथाएँ कम होती जाती हैं, फलस्वरूप पुराने तरीके जो अक्सर व्यवहार के अस्थिर संहिता या केवल जड़ता पर आधारित होते हैं, अब पर्याप्त नहीं हैं।

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु ‘डेढ़-गुना फॉर्मूला’

- प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग रही है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली के संबध में लिखित गारंटी दी जाए, जिसमे उनकी फसलों के लिए उत्पादन-लागत का निश्चित डेढ़ गुना मूल्य दिए जाना निर्धारित किया गया है।न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मूल्य होता है।

- कृषि मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices– CACP) द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश की जाती है।

पहले MSP का निर्धारण किस प्रकार किया जाता था?

- CACP द्वारा किसी वस्तु के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि-लागत सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता था। आयोग द्वारा, वस्तु की मांग और आपूर्ति की स्थिति; बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख (घरेलू और वैश्विक); जीवन यापन पर लागत का प्रभाव (मुद्रास्फीति); पर्यावरण (मृदा और पानी का उपयोग) तथा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के मध्य व्यापार शर्तों, पर भी विचार किया जाता था।

केंद्रीय बजट 2018-19 के साथ होने वाले परिवर्तन -

- 2018-19 के बजट में घोषणा की गई थी कि अब से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) “पूर्व-निर्धारित सिद्धांत” के रूप में फसलों की उत्पादन लागत का डेढ़-गुना निर्धारित किया जाएगा। आसान शब्दों में, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) का कार्य अब केवल एक सीजन की उत्पादन लागत का अनुमान लगाना तथा डेढ़-गुना फार्मूला (5-times formula) का उपयोग करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करना होगा।

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति: विपणन सत्र 2018-19 की रिपोर्ट में कहा गया है कि CACP द्वारा की गयी MSP अनुशंसा A2 + FL लागत के डेढ़-गुना पर आधारित थी। 'A2' में किसान द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई आदि पर किये गए सभी तरह के भुगतान को शामिल किया जाता है। 'A2 + FL' में A2 सहित अतिरिक्त अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है।

- MSP निर्धारित करने हेतु C2 लागतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। C2 में अधिक विस्तारित लागतों को शामिल किया जाता है। इसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक पारिश्रामिक (A2+FL) के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है।

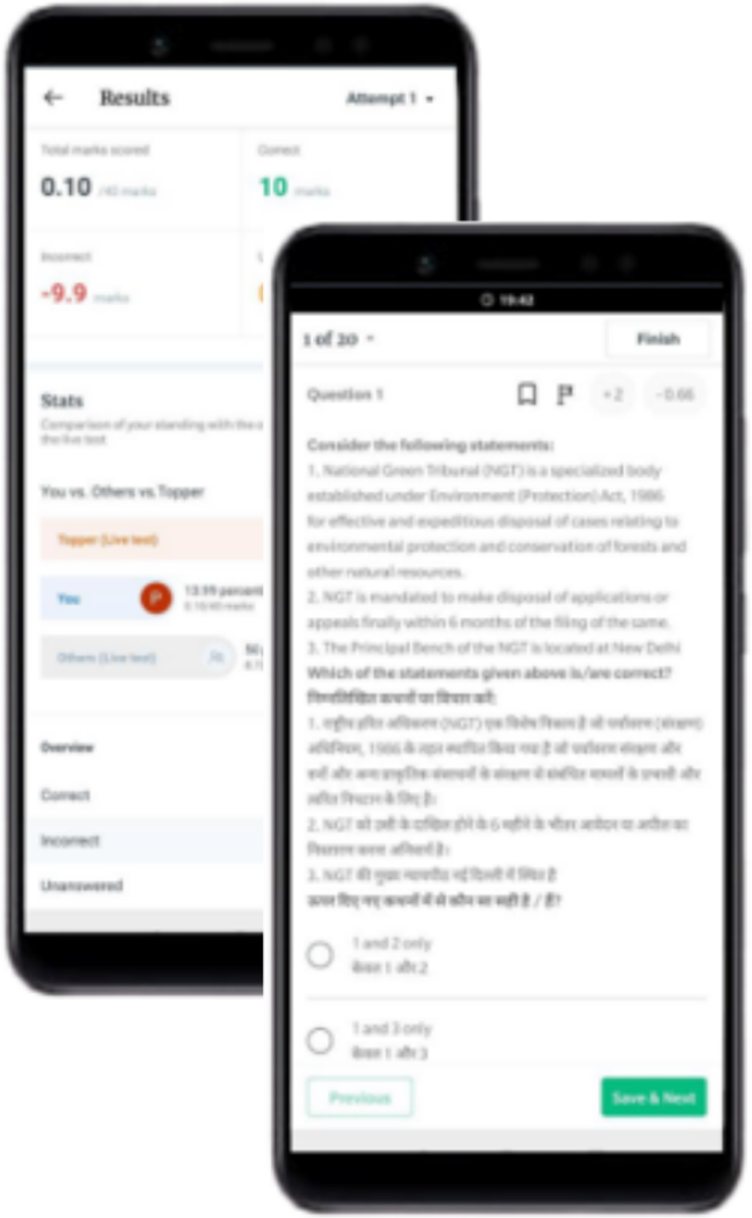

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

Free Learning Platforms

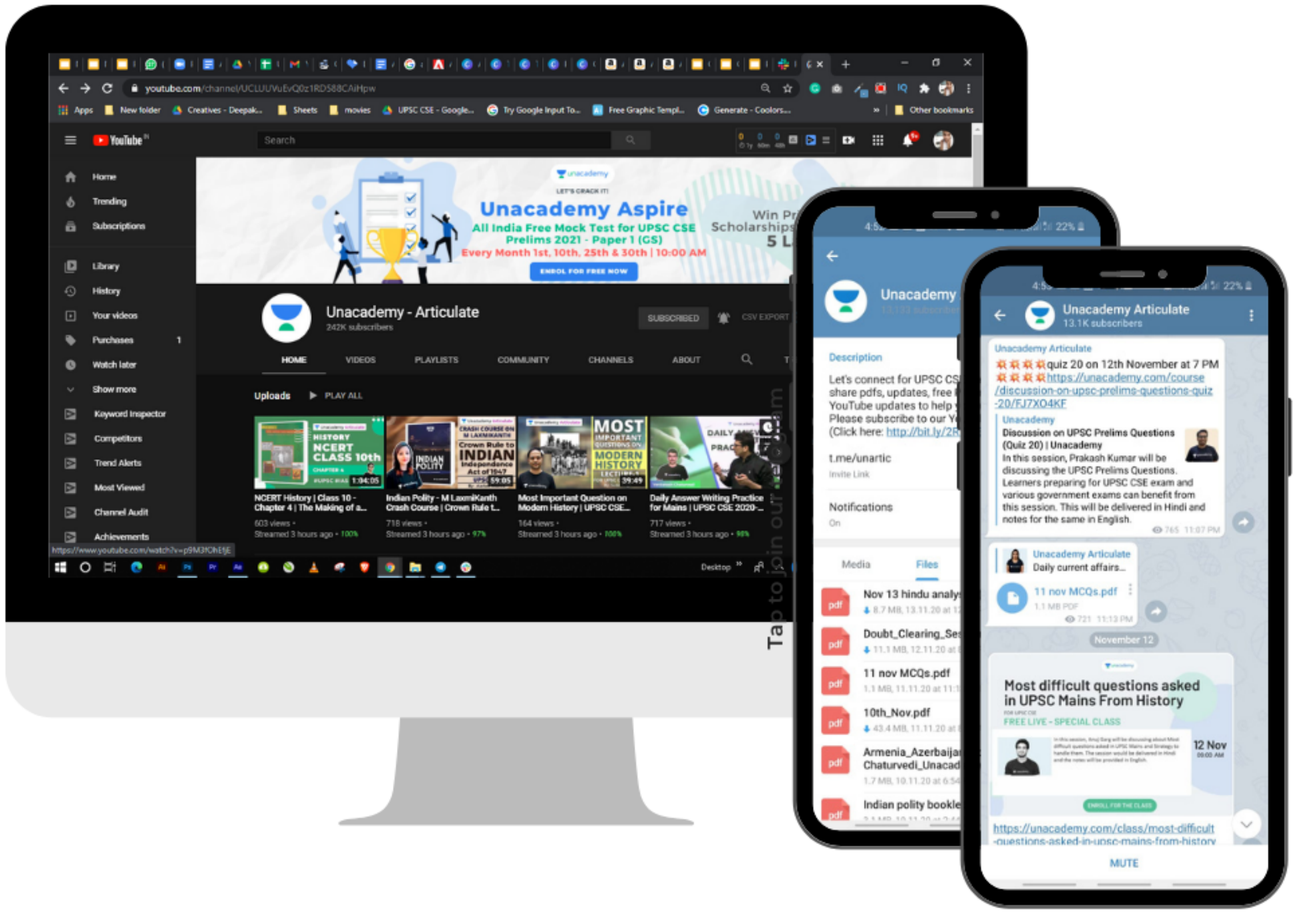

YouTube

Unacademy Articulate

- Free Live class
- Daily Current Affairs
- UPSC CSE special event notifications
- Book Summary

Telegram

Unacademy Articulate

- Free Live class notifications
- Free PDFs & study material
- Daily free Youtube session updates
- UPSC CSE special event notifications
- Free test series notifications

पेड़ के छल्लों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की चेतावनी

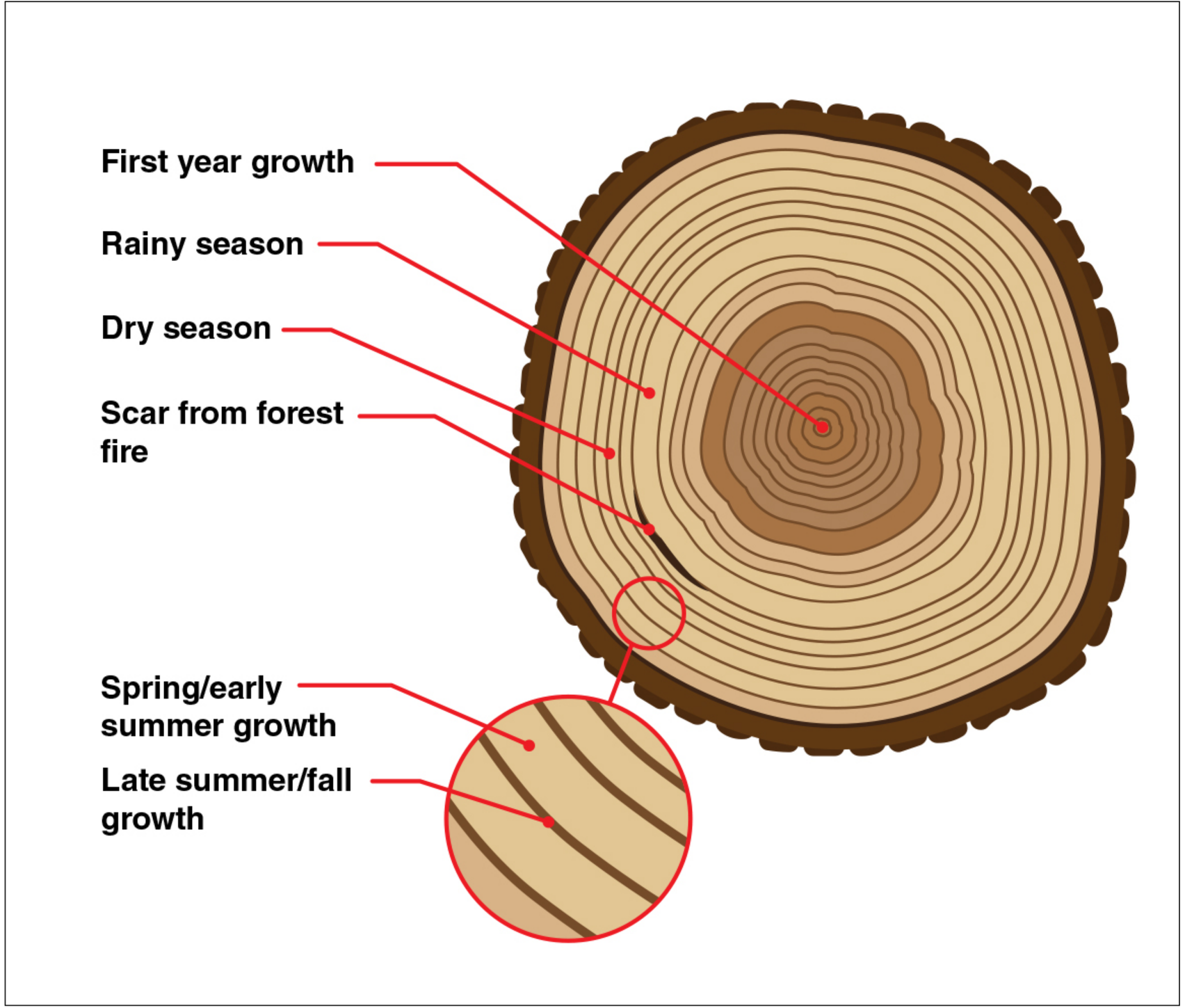
First year growth
Rainy season
Dry season
Scar from forest fire
Spring/early summer growth
Late summer/fall growth

- वर्तमान में, ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ का अनुमान पिछले वर्षा प्रतिरूपों के आंकड़ो पर आधारित होता हैं, किंतु ये मुख्य रूप से केवल 1950 के दशक के डिस्चार्ज-गेज रिकॉर्ड पर निर्भर करते है।इसलिए, अब वैज्ञानिक एक नवीन विचार लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने पेड़ों के छल्लों (Tree Rings) के आधार पर बाढ़ का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

- नया अध्ययन, नदी के जलक्षेत्र में और उसके आसपास प्राचीन पेड़ों के छल्लों (Tree Rings) के परीक्षण पर आधारित है, जिसमे ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के सात शताब्दियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।नए अध्ययन से पता चलता है कि 1950 के दशक के बाद का समय, 1300 के दशक के पश्चात सबसे शुष्क कालों में से एक था।छल्ले बताते हैं, कि हाल के दशक (विशेष रूप से 1950 से 1980 के दशक) असामान्य रूप से शुष्क रहे थे। अतीत में यह अवधि बहुत अधिक नम रही है।

- यह अध्धयन बताता है, हमारे द्वारा किए जा रहे कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण भविष्य में अधिक नमी होगी।

- जैसे-जैसे पेड़ों में वृद्धि होती है, इनके वार्षिक विकास छल्लों में तत्कालीन पर्यावरणीय परिस्थितियों संबंधी जानकारी समाहित होती जाती है।जिन वर्षों में मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है, उस दौरान पेड़ के छल्ले अधिक चौड़े होते हैं।

- आर्द्र मानसून वाले वर्षों में क्षेत्र के पेड़ों में अधिक वृद्धि होती है तथा चौड़े छल्ले बनते हैं।इसके विपरीत, शुष्क मानसून वाले वर्षों (या सूखे के दौरान) पेड़ों की वृद्धि कम होती हैं और संकीर्ण छल्लों का निर्माण होता है।चूंकि इनमें से कुछ पेड़ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, इन पेड़ों से एक छोटा, पेंसिल के आकार का नमूना लेकर और माइक्रोस्कोप से उसके छल्ले को मापकर पिछले कई शताब्दियों की जलवायु परिस्थितियों के बारे में जाना जा सकता है।

- इस नए अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए भी प्रासंगिक हैं। इसके द्वारा, इस क्षेत्र में बाढ़ के जोखिमों को योजनाबद्ध परियोजनाओं द्वारा संयोजित किया जा सकता है।

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020

GLOBAL TERRORISM INDEX 2020

SOUTH ASIA

Global Rank		
1	Afghanistan	9.592
7	Pakistan	7.541
8	India	7.353
20	Sri Lanka	6.065
27	Nepal	5.34
33	Bangladesh	4.909
135	Bhutan	0

The higher rank with a lower score indicates the lower impact of terrorism

- ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8 वें स्थान पर रखा गया है। भारत का GTI स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याए, 439 घायल और 558 घटनाएं दर्ज की गईं। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गईं।

- इसके अलावा, विश्व स्तर पर आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 2018 की तुलना में 2019 में 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,286 दर्ज की गईं।
- जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 165 हमलों और 103 मौतों की सूचना प्राप्त हुई। कश्मीर के तीन सबसे सक्रिय समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) हैं।छत्तीसगढ़ भारत में 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र था।

- अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देश के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है।इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक (8.682) और नाइजीरिया (8.314) हैं।

- सूचकांक में कतर (0.014) ने 133 वीं रैंक और उसके बाद उज़्बेकिस्तान (0.010) ने 134 वीं रैंक और करीब 29 देशों (0.000 के स्कोर) ने 135 वीं रैंक हासिल की, जिसका मतलब है कि यह आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश हैं।
- आतंकवाद से प्रभावित देशों का आंकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है।

आकाशवाणी सार

ये आकाशवाणी है....

- मणिपुर के थोउबल जिले के नोंगपोकसेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। तमिलनाडु के सेलम जिले का ए.डब्ल्यु.पी.एस.- सुरामंगलम पुलिस थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है।
- गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन करता है। 2015 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक के आधार पर पुलिस थानों की उपलब्धि और उन्हें काम के आधार पर ग्रेड देने को कहा था।***

- आज (3 Dec)अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 के बाद दिव्यांग जनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोषी सासाकी ने कहा कि यह दिवस दिव्यांग जनों की कठिनाईयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है।

- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मान जनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में, श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई-बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। ***

- देश आज (3 Dec) पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा याद किया जायेगा।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संघर्ष और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद की भूमिका अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्तों पर आधारित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद का जीवन सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा।***

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

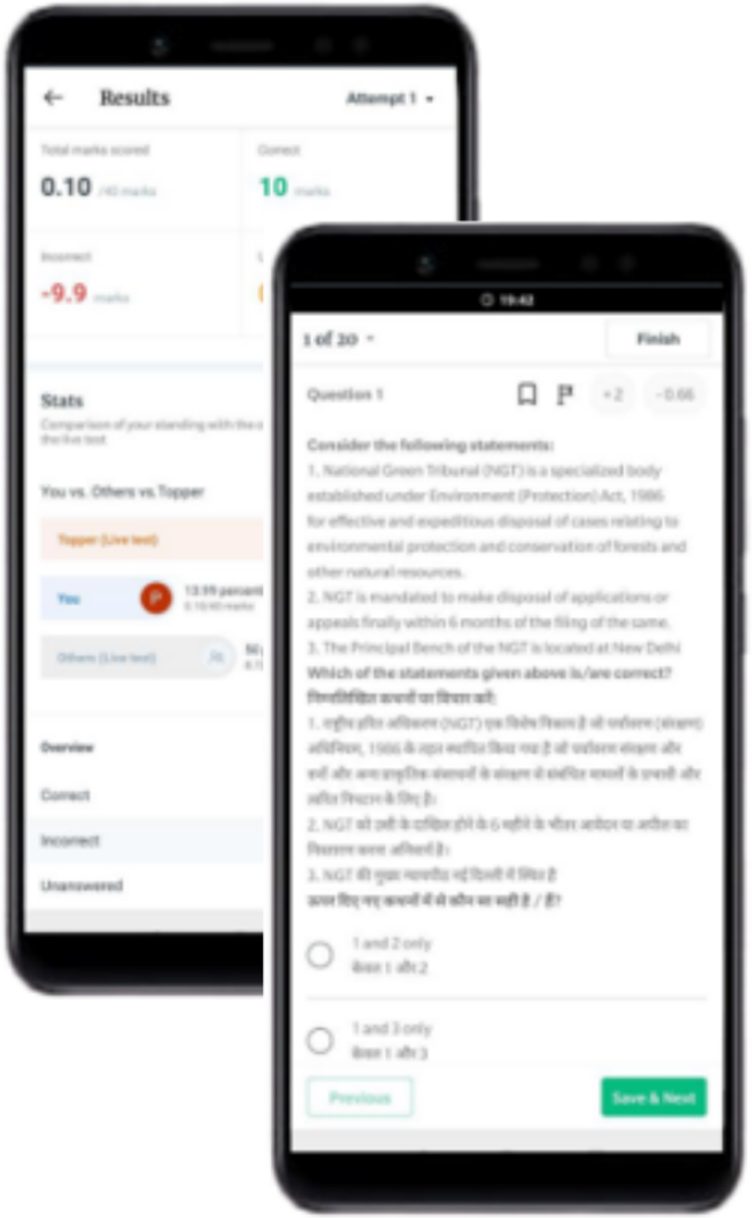

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

Plus UPSC CSE Subscription

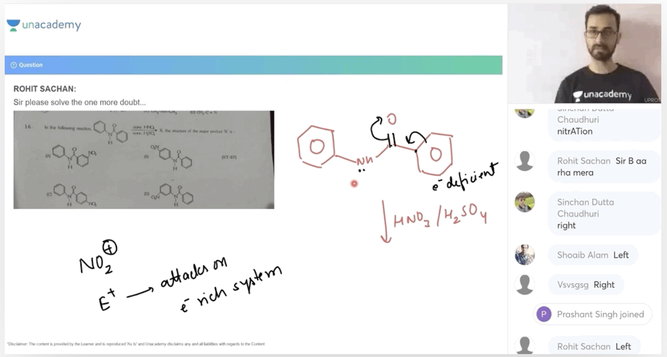

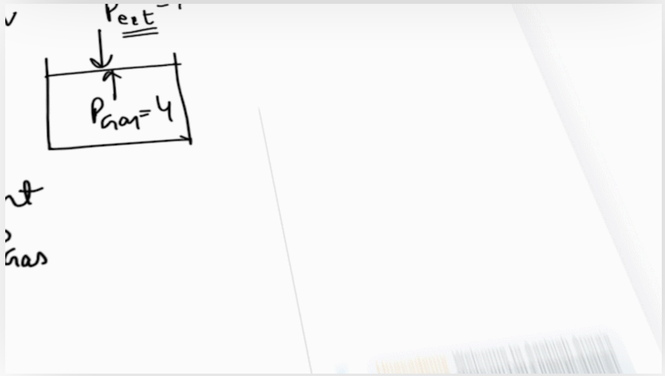

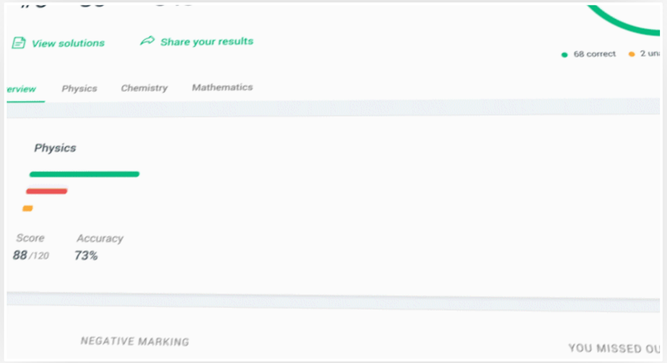

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

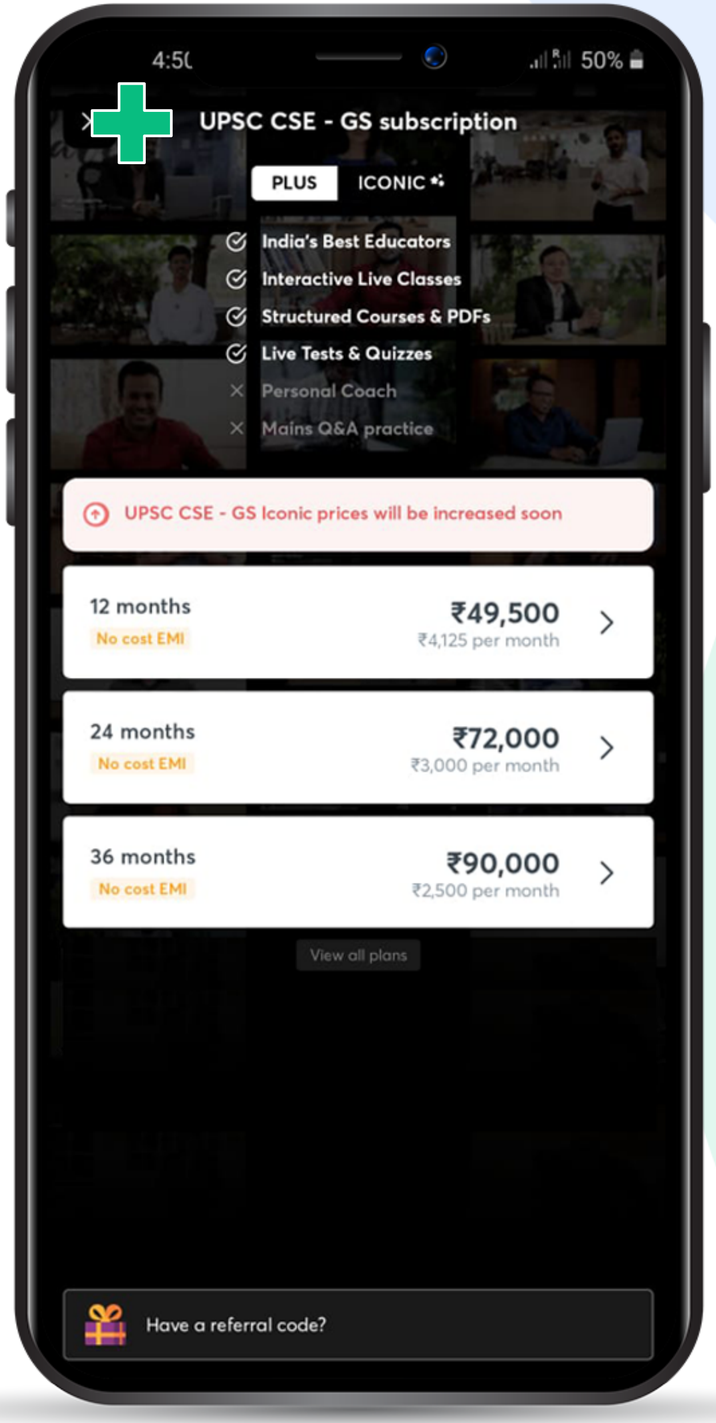

Iconic UPSC CSE Subscription

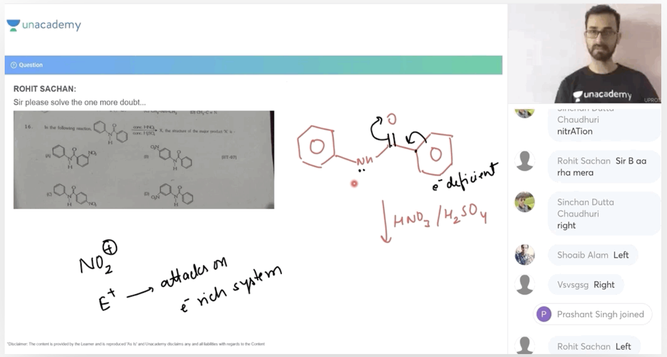

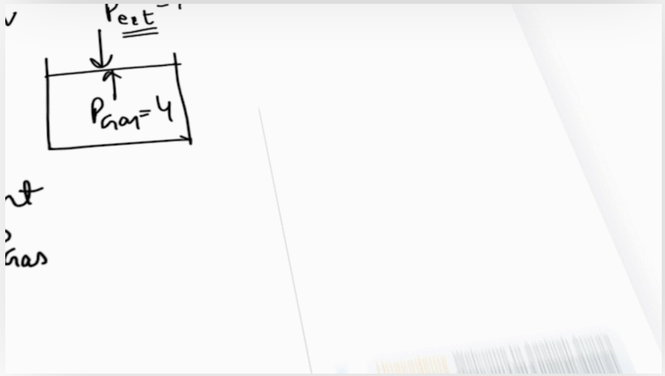

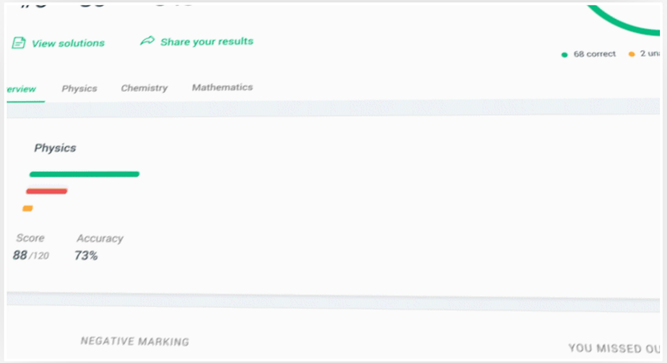

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

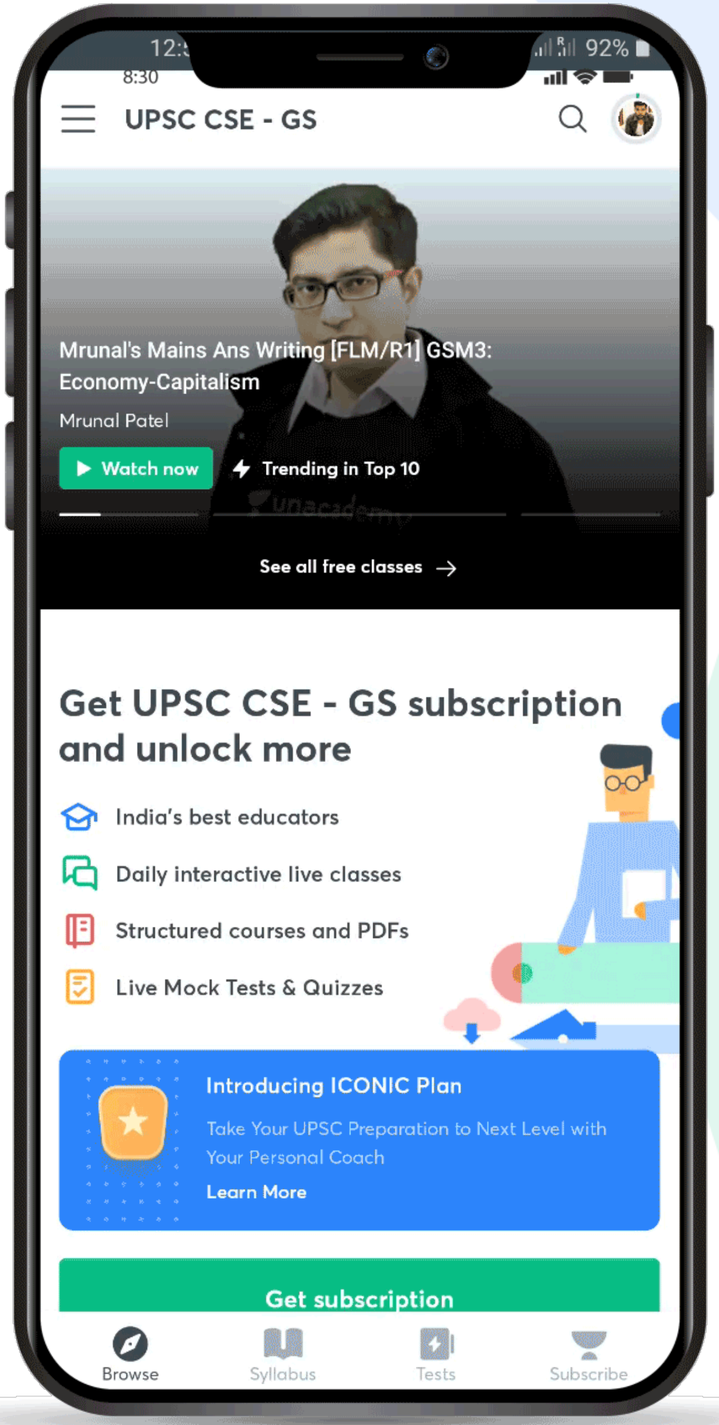

For a massive 10% Discount

Use Code **CIVILHINDIPEDIA**

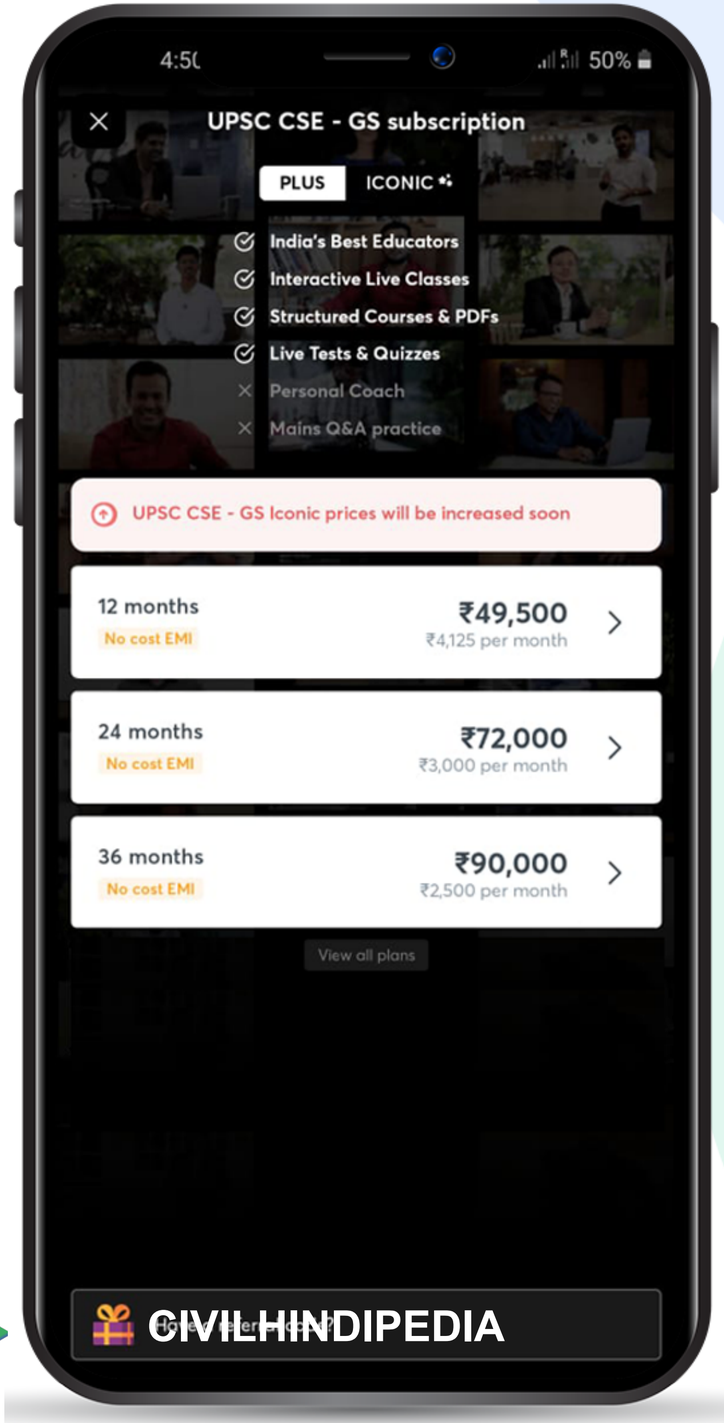

CIVILHINDIPEDIA

Thank You